उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइटः hajcommittee.up.gov.in ; ई–मेल : shcuplko@rediffmail.com;

पत्रांक : जी–।।/3560/एस.एच.सी/2024 दिनांक : 06/03/2024

प्रेस विज्ञप्ति

हज–2024 हेतु हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सर्कुलर–13 दिनांक 05 मार्च, 2024 जारी किया गया है जिसके अनुसार महरम श्रेणी में महिलाओं के लिए 500 सीटें आवंटित की गयी हैं। ऐसी महिलाएं जो अपने महरम के साथ किन्हीं कारणवश जैसे पासपोर्ट समय से जारी न होने के कारण आवेदन नहीं कर सकी हैं तथा उनके महरम का हज–2024 हेतु चयन कर लिया गया है, ऐसी महिलाएं अपने महरम के कवर में सम्मिलित होने हेतु उक्त सुविधा के अन्तर्गत आवेदन कर सकती हैं, ऐसी महिला आवेदकों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

1. महिला आवेदक ने पूर्व में हज कमेटी या प्राइवेट टूर आपरेटर के माध्यम से हज न किया हो।
2. ऐसी महिलाओं को हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हस्तलिखित या टाइप किया हुआ प्रार्थना पत्र या आवेदन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 मार्च, 2024 तक किया जा सकेगा।
3. आवेदक के पास वैद्य मशीन पठित पासपोर्ट जिसकी वैद्यता दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक होना आवश्यक है।
4. आवेदन करते समय महरम होने का प्रमाण अपलोड करना आवश्यक है जिससे कि महरम होना साबित हो सके।
5. जिस कवर में महिला आवेदन कर रही है उसमें आवेदक को सम्मिलित करते हुए पॉच से अधिक आवेदन न हों।
6. चयन होने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन फार्म फार्म अन्य प्रपत्रों सहित जिसमें आवेदन फार्म का प्रिंटआउट, पासपोर्ट की फोटोप्रति, घोषणा पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, धनराशि की पे–इन–स्लिप हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई को प्रेषित किया जाना होगा।
7. आवेदन का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा, 500 से अधिक आवेदन होने पर ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ई–सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. ज़िला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी